

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी भावना गर्गी)

आर.एस.

प्रकरण सं./शुद्ध पत्र/एल.आर./31/2019

1. रामेश्वर पुत्र श्रीगणेश जाति नाई निवासी बडगांव(रू०) तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महावीर पुत्र श्रीलाल जाति नाई निवासी बडगांव(रू०) तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री मदन पुत्र जेठू जाति नाई निवासी बडगांव(रू०) तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्री कौशल कुमार पुत्र श्री इन्द्र देव जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव(रू०) तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. श्री वर प्रदीप सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी बडगांव(रू०) तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील अपीलाण्ट श्री धर्मवीर बामनिया

निर्णय दिनांक 26.06.19

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बडगांव के खसरा नं. 1167 रकबा 0.81, 3387/1169 रकबा 1.55, 3388/1170 रकबा 2.23 एवं 1183 रकबा 1.36 हैं। किस्म बरानी-2 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण रथाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलाब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा बडगांव के खसरा नं. 1167 रकबा 0.81, 3387/1169 रकबा 1.55, 3388/1170 रकबा 2.23 एवं 1183 रकबा 1.36 हैं। किस्म बरानी-2 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक- कनेईकलां को 1,500/-रूपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रु० मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गर्गी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर

